अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

22[illegible] [illegible] 4/[illegible]

	2014/83 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री प.इ. माली श्री [illegible] बनाम	
3/12/25	पत्रावली पेश की गई। पक्षकारान अनुपस्थित। पक्षकारान को उपस्थित रहने हेतु आखिरी मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रेस्पो. सं. 2 से 12 दिनांक 01/01/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
01/01/26	पत्रावली पेश की गई। पत्रावली पूर्ववत वास्ते तलबी नोटिस रेस्पो सं. 2 से 12 दिनांक 15/01/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
15/1/26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलान्टस एवं अपीलान्टस कोई अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलान्टस एवं अपीलान्टस को बार बार आवाजें दिलाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलान्टस अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार [illegible] नम्बर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व विविध अपील संख्या-...83.../2024

------------------ 2024/83

1. श्री उम्मेद सिंह वयस्क पुत्र श्री राम सिंह,
2. श्री गोविन्द सिंह वयस्क पुत्र श्री दूद सिंह,
3. श्री तेज सिंह वयस्क पुत्र श्री दूद सिंह,
4. पुष्पा वयस्क पुत्री श्री राम सिंह,
5. सुशीला वयस्क पुत्री श्री राम सिंह,
6. श्री सोहन सिंह वयस्क पुत्र श्री दूद सिंह,

समस्त निवासीयान ग्राम पोस्ट पीपलाज तहसील मसूदा जिला ब्यावर (राज.)

--अपीलार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण सिंह वयस्क पुत्र श्री नोल सिंह रावत
2. श्री नारायण सिंह वयस्क पुत्र श्री नोल सिंह

दोनों निवासीयान ग्राम पोस्ट पीपलाज तहसील मसूदा जिला ब्यावर (राज.)

--प्रत्यर्थीगण

3. श्रीमती दाखू देवी वयस्क पत्नी श्री अमर सिंह,
4. नैना वयस्क पुत्री श्री अमर सिंह,
5. श्री पवन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती दाखू देवी वयस्क पत्नी श्री अमर सिंह,
6. श्री भंवर सिंह वयस्क पुत्र श्री राम सिंह,
7. श्रीमती भंवरी देवी वयस्क पत्नी श्री दूद सिंह,
8. माया वयस्क पुत्री श्री अमर सिंह,

लगातार.............2

9. लक्ष्मी वयस्क पुत्री श्री अमर सिंह,

10. संतोष वयस्क पुत्री श्री अमर सिंह,

समस्त निवासीयान ग्राम पोस्ट पीपलाज तहसील मसूदा जिला ब्यावर (राज.)

11. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उप-पंजीयक महोदय, मसूदा जिला ब्यावर (राज.)

12. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, ब्यावर (राज.)

--प्रर्फोमा प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2024 जो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा श्री कुलदीप सिंह शेखावत द्वारा प्रकरण संख्या-37/2024 उनवान श्री लक्ष्मण सिंह व अन्य बनाम श्री उम्मेद सिंह वगैराह में पारित किया जिसके जरिये अपीलार्थीगण एवं प्रर्फोमा प्रत्यर्थीगण 3 लगायत 10 को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा आगानी पेशी तारीख पाबंद किया प्रत्यर्थीगण के हिस्से तथा विशिष्ट भूभाग को बेचान ना करे।

महोदय,

अपीलार्थी की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है :-

अपील के संक्षिप्त में तथ्य

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलार्थीगण एवं प्रर्फोमा प्रत्यर्थीगण 3 लगायत 10 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पीपलाज पटवार क्षेत्र पीपलाज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर (राज.) में निम्न वर्णित आराजियात चली आती है :-

पुष्पा सुशीला

Scanned with CamScanner